उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
फोन नं. :– 2640188,2941773,7427811444,7427811222

ई–निविदा फॉर्म

उदयपुर शहरी क्षेत्र – जोन प्रथम

निविदा संदर्भ :– 05/2025–26

....

1. निविदा :– उदयपुर डेयरी से शहर के जोन प्रथम के सरस एजेण्टों/विभागों एवं अन्य विक्रय केन्द्रों तक ताप–प्रतिरोधक वाहन द्वारा दुग्ध उत्पाद परिवहन एवं वितरण कार्य करना।

....

2. निविदा सूचना : उदय/डेयरी/विपणन/25–26/1829 दिनांक 22.08.25
   निविदा लागत अनुमानित (रू) : 5.0 लाख प्रति जोन
3. निविदा शुल्क (रू) : रू 1180/–(एक हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र) मय GST
   (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से देय हो)
4. धरोहर राशि (रू) : रू 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र)
   (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से देय हो)
5. ई–निविदा हेतू प्रोसेसिंग फीस : रू 500/–(पॉच सौ रूपये मात्र)
   (एमडी, आरआईएसएल, जयपुर के नाम से देय हो)
6. निविदा अवधि : एक वर्ष
7. ई–निविदा फॉर्म डाउनलोड शुरू करने की दिनांक/समय : 29.08.2025 कार्यालय समय सायं 5.00 बजे से
8. Pre-Bid बैठक की तिथि व समय : 05.09.2025 कार्यालय समय सायं 2.00 बजे
9. ई–निविदा फॉर्म अपलोड करने की दिनांक /समय : 26.09.2025 कार्यालय समय सायं 4.00 बजे तक
10. ई–निविदा हेतू निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमांड ड्राफ्ट विपणन विभाग में जमा कराये जाने की अंतिम दिनांक/समय : 27.09.2025 कार्यालय समय सायं 1.00 बजे तक
11. निविदा फॉर्म के भाग–अ को खोलने की तय दिनांक/समय : 29.09.2025 कार्यालय समय प्रातः 11.30 बजे बाद
12. योग्य निविदादाता के निविदा फॉर्म के भाग–ब को खोलने की तय दिनाकं/समय : संघ द्वारा ऑनलाईन सूचित की जावेगी।

....

निविदा संबंधी सभी अपलोड पृष्ठों व दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- **जोन प्रथम हेतू अनुबंधक की नियुक्ति की जानी है अतः निविदादाता ई–निविदा से संबंधित सभी प्रक्रिया सावधानी पूर्वक एवं E-proc वेबसाईट (http://eproc.rajasthan.gov.in) पर दिये गये दिषा–निर्देश अनुरूप ही पूरी करें।**
- **ई–निविदा के भाग–ब (वित्तीय भाग) में निविदादाता द्वारा निविदा दर ऑनलाईन तय बीओक्यू फॉर्मेट में प्रति लीटर/किलो (मय सभी कर सहित) दुग्ध उत्पाद परिवहन की एवज में भरी जानी है।**

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर

फोन नं. :– 2640188,2941773,7427811444,7427811222

उदयपुर शहरी क्षेत्र – जोन प्रथम

भाग–अ

(तकनीकी विवरण)

उदयपुर डेयरी से शहर के जोन प्रथम के सरस एजेण्टों/विभागों एवं अन्य विक्रय केन्द्रों तक ताप–प्रतिरोधक वाहन द्वारा दुग्ध उत्पाद परिवहन एवं वितरण कार्य करना।

1. निविदादाता/फर्म का विवरणः–
   (अ.) निविदादाता/फर्म का नाम : ....
   (ब.) निविदादाता/फर्म का स्थायी पता : ....
   (स.) निविदादाता/फर्म के फोन/मोबाईल न. : ....
2. फर्म की प्रकृति : प्रोपराईटर/पार्टनरशीप/कम्पनी/अन्य(उल्लेखित करें।)
   ....
3. निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाने वाला विवरण :–
   (अ.) निविदा शुल्क : रू 1180/–(एक हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र)
   जो उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के नाम से देय हो
   डिमांड ड्रॉफ्ट न0..
   बैंक का नाम ....
   दिनांक ....

   (ब.) धरोहर राशि : रू 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र)
   जो उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के नाम से देय हो
   डिमांड ड्रॉफ्ट न0..
   बैंक का नाम ....
   दिनांक ....

   (स.) ई–टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क : रू 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र)
   जो एमडी, आर0आई0एस0एल0, जयपुर के नाम से देय हो
   डिमांड ड्रॉफ्ट न0..
   बैंक का नाम ....
   दिनांक ....

नोटः– ई–निविदा फॉर्म से संबंधित निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमांड ड्राफ्ट विपणन विभाग में तय दिनांक/समय पर नहीं पहुॅचाये जाने पर भरी गयी निविदा स्वतः ही खोलने हेतु अयोग्य होगी।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
फोन नं. :– 2640188,2941773,7427811444,7427811222

उदयपुर शहरी क्षेत्र – जोन प्रथम
(उत्पाद परिवहन/वितरण कार्य हेतू)

4. पेन न. (PAN) :– ....
   (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
5. जीएसटी. (GST NO.) ....
   (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
6. आधार कार्ड न0 (Aadhar card) :-...
   (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
7. फूड लाइसेंस न0 (FSSAI) :-..
   (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
8. फर्म/निविदादाता द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25).मे से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो के इन्कम टैक्स रिर्टन पेपर की स्वप्रमाणित पूर्ण छायाप्रति :-...
   (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
9. पिछले पाँच वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25) में से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो के लिये Trading A/c, Profit & Loss A/c & Balance Sheet की प्रतियाँ संलग्न करे।
10. किसी भी तीन वित्तीय वर्षो 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 का औसतन टर्नओवर न्यूनतम रुपये 1 करोड का होना चाहिए और सीए द्वारा विधिवत मुहर और हस्ताक्षर के साथ सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए (UDIN साथ)।
    (छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)
11. इन्सुलेटेड लोड़िग वाहन का विवरण :–
    a. वाहन का मॉडल 2021 से पुराना नहीं होना चाहियें।
    b. वाहन निविदादाता के नाम होना चाहियें।
    c. **The Payload capacity of the insulated vehicle should be of min 2 Metric Ton (वाहन की वहन क्षमता कम से कम 2000 किग्रा. की होनी चाहियें।**
    d. वर्तमान में दुग्ध संघ, उदयपुर/अन्य संघों के मार्गो हेतु दी गयी आर.सी. (RC) वालें वाहनों कों स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

क्र.स.	वाहन रजिस्ट्रेशन न. और दिनांक	वाहन मालिक का नाम	वाहन का मॉडल	वाहन कम्पनी का नाम	भार वहन क्षमता (कि.ग्रा.)
1					
2					
3					

(वाहन की RC की छाया प्रति भाग–अ के साथ अपलोड करें।)

(Laden weight (-) Unladen weight should be minimum 2000 Kg)

12. संघ में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मंडल के सदस्य एवं उनके परिवार के निकटतम सदस्य है। (हॉ / नहीं)

13. फर्म / निविदादाता अयोग्य / ब्लैक लिस्टेड / न्यायालय से घोषित अपराधी / सजायाफ्ता / दिवालिया (हॉ / नहीं)

14. निविदादाता को उदयपुर दुग्ध संघ और अन्य संघों में चलने वाली निविदाओं की सूची / विस्तार मार्गो के नाम, वाहनों की संख्या बताते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होंगा। (स्वयं के घोषणा पत्र शीर्ष पर (Letter head))।

क्र.स.	यूनियन (दुग्ध संघ) का नाम	वाहन संख्या	रुट न. और रुट का नाम
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

15. **न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव** (निविदादाता द्वारा किसी भी डेयरी अथवा अन्य फूड ईन्डस्ट्री में एक वर्ष के ट्रॉंसपोर्ट / डिस्ट्रीब्यूटर कार्य के अनुभव हेतु जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।) वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त के तहत योग्य होगें तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

– ई निविदा शुल्क (निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस) के तीनो डिमांड ड्राफ्ट की स्केन कॉपी निविदा फार्म के भाग–अ के साथ अपलोड किया जाना।

(निविदादाता / फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

– ई निविदा शुल्क (निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस) के तीनो डिमांड ड्राफ्ट तय दिनांक/समय पर भौतिक रूप से निविदा में दिये गये निर्देश अनुरूप विपणन कार्यालय में जमा कराना।

Note :-

(अ.) आवेदन–फॉर्म ऑन–लाईन जमा कराते समय निविदाकर्ता यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त निविदा कार्य से संबंधित सभी तकनीकी जानकारी एवं विवरण पार्ट–ए में पूर्ण रूप से भर दिये गये हो तथा चाहे गये दस्तावेज की फोटोप्रति भी अपलोड कर दी गयी हो।

(ब.) (निविदादाता सभी तीनों डिमांड ड्राफ्ट केवल अपने खाते से ही बनवायेगें, यदि किसी डिमांड ड्राफ्ट पर क्रेता का नाम निविदा पार्टी/फर्म के नाम से अलग होगा तो उस निविदादाता के डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार्य नही होगें।)

(स.) ई– निविदा भरने हेतु आवश्यक नियम/शर्ते :–

- वर्तमान में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र उदयपुर के दूध वितरण/परिवहन, एवं राशि संग्रहण कार्य के अनुबन्धक इस निविदा (शहरी क्षेत्र) में भाग लेने योग्य नहीं होगें। निविदा भरने पर उनकी निविदा को निरस्त कर दी जावेगी।
- वह अनुबधंक जिनके वर्तमान में विपणन विभाग, उदयपुर दुग्ध संघ के शहरी क्षेत्र (City supply Area) में दूध वितरण/परिवहन, एवं राशि संग्रहण कार्य के दो अनुबंध कार्यरत है, (टेंडर नोटिस 1829 दिंनाक 22.08.2025 में निकाली निविदा के अलावा) वे इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
- वह अनुबधंक जिनके वर्तमान में विपणन विभाग, उदयपुर दुग्ध संघ के शहरी क्षेत्र (City supply area) में दूध वितरण/परिवहन, एवं राशि संग्रहण कार्य का एक अनुबंध कार्यरत है, (टेंडर नोटिस 1829 दिंनाक 22.08.2025 में निकाली निविदा के अलावा) वह किसी भी एक शहरी निविदा कार्य हेतु निविदा फॉर्म भर सकेगा।
- यदि किसी भी नयी पार्टी द्वारा दो से अधिक निविदा कार्य हेतु निविदा फॉर्म भरा जाता है तो उस पार्टी के दो निविदा फॉर्म के ही डिमांड ड्रॉफ्ट ही स्वीकार्य किये जावेंगे एवं इससे संबंधित निविदाएँ ही अग्रिम टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु स्वीकार्य होंगी।
- यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोंनो निविदाओं में फार्म भरनें की दशा में उसकी दोनों ही निविदाओं को निरस्त कर दी जावेगी।
- ई–निविदा के भाग–अ में मॉंगे गए दस्तावेज (जो साफ पढे जा सकें) अपलोड ना किये जाने पर निविदा प्रक्रिया में इस निविदा के भाग–ब को नही खोला जावेगा अर्थात इन आवष्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निविदा स्वतः ही अग्रिम निविदा प्रक्रिया हेतू अस्वीकृत होगी।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
फोन नं. :– 2640188,2941773,7427811444,7427811222

ई–निविदा–फॉर्म भरने हेतू आवश्यक दिशा–निर्देश

1. ई–निविदा फॉर्म व दस्तावेज जमा कराये जाने की यह प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाईन है अतः निविदादाता इस हेतू वेबसाईट (*http://eproc.rajasthan.gov.in*) पर दिये गये दिशा–निर्देश अनुरूप ही आवेदन करें।
2. उक्त ई–निविदा फॉर्म वेबसाईट पर दो भागों में अपलोड है जिसके भाग–अ में तकनीकी जानकारी व इससे संबंधित दस्तावेज हस्ताक्षर द्वारा स्वप्रमाणित कर अपलोड किये जाने है व भाग–ब में जोन प्रथम हेतू निविदा–दर तय बीओक्यू (BOQ) फॉर्मेट में प्रति लीटर/किलो (मय सभी कर सहित) दुग्ध उत्पाद परिवहन की एवज में भरी जानी है।
3. ई–निविदा के भाग–अ में ऑनलाईन निम्न दस्तावेज (जो साफ पढे जा सकें) अपलोड ना किये जाने पर निविदा प्रक्रिया में इस निविदा के भाग–ब को नही खोला जावेगा अर्थात इन आवष्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निविदा स्वतः ही अग्रिम निविदा प्रक्रिया हेतू अस्वीकृत होगी।
   - ई निविदा शुल्क (निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस) के तीनो डिमांड ड्राफ्ट की स्केन कॉपी निविदा फार्म के भाग–अ के साथ अपलोड किया जाना।
   - ई निविदा शुल्क (निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस) के तीनो डिमांड ड्राफ्ट तय दिनांक/समय पर भौतिक रूप से निविदा में दिये गये निर्देश अनुरूप विपणन कार्यालय में जमा कराना।
4. ई–निविदा फॉर्म से संबंधित निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेंडर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमांड ड्राफ्ट विपणन विभाग में तय दिनांक/समय पर नहीं पहुॅचाये जाने पर भरी गयी निविदा स्वतः ही खोलने हेतु अयोग्य होगी।
5. **सफल वितरक को यह वितरकशीप एक वर्ष की समयावधि हेतू आवंटित की जावेगी** जिसके पूर्ण होने पर आपसी सहमति से यह समयावधि को अगले एक वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकेगी। तत् पश्चात नयी निविदा होने अथवा अगलें तीन माह तक जो भी पहले हो तक की समयावधि हेतू दुग्ध संघ द्वारा इन्हीं नियम एवं शर्तो के तहत बढाया जा सकेगा जिसकी पालना करने हेतु अनुबंधक बाध्य होगा।
6. डीलरशीप हेतू किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक का निर्णय वितरक को मान्य होगा एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने एवं संघ हित में किसी भी शर्त में परिवर्तन/निरस्तीकरण

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास होगा। विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा। फर्म अथवा वितरक आवंटन के पश्चात गैर कानूनी गतिविधियों एवं संघ प्रतिस्पर्धी व्यापार में लिप्त होने पर वितरकशीप निरस्त कर दी जावेगी।

7. इस निविदा कार्य से संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताओं जैसे जीएसटी टैक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेविस, फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य रखने/जमा कराने एवं पूर्ण कराने का दायित्व सफल वितरक का स्वयं का होगा।

8. **फर्म/निविदादाता द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25).मे से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो के इन्कम टैक्स रिर्टन पेपर की स्वप्रमाणित पूर्ण छायाप्रति संलग्न करे।**

9. **पिछले पाँच वित्तीय वर्षो (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25) में से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो के लिये** Trading A/c, Profit & Loss A/c & Balance Sheet **की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करे।**

10. **पिछले पाँच वित्तीय वर्षो 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 में से किसी भी तीन वित्तीय वर्षो का औसतन टर्नओवर न्यूनतम रुपये 1 करोड का होना चाहिए (नकारात्मक मूल्य पर विचार नही किया जाएगा) और सीए द्वारा विधिवत मुहर और हस्ताक्षर के साथ सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए (UDIN साथ)।**

11. उदयपुर दुग्ध संघ के कर्मचारी एवं उनके पारिवारिक सदस्य तथा नजदीकी रिश्तेदार वितरकशीप हेतू योग्य नहीं होगे।

12. सफल वितरक द्वारा इन्सुलेटेड लोडिंग वाहन लगाये जाने से पूर्व वाहन पर संघ के निर्देशानुसार अधिकृत विज्ञापन बनवाना होगा ।

13. सफल वितरक को संघ द्वारा देय फार्मेट अनुसार इकरारनामा (रू 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) निष्पादित कराना होगा।

14. सफल वितरक द्वारा किये जाने वाला यह वितरण कार्य एवं उससे होने वाली प्रतिदिन आय पूर्णतया उसकी कार्य क्षमता/दक्षता/कार्य–व्यवस्था पर निर्भर करेगी जिसमें संघ की कोई भागीदारी नहीं होगी एवं इसका पूर्व के विक्रय रिकार्ड से कोई लेना–देना नहीं होगा। संघ द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करते हुए यह आवंटित कार्य नियमित रूप से संपादित कराया जाना है।

15. वितरक को भविष्य में सप्लाई बढने अथवा अन्य क्षेत्र बढाने पर अतिरिक्त लोडिंग वाहन की व्यवस्था आवश्यक रूप से करानी होगी। किसी भी परिस्थिति में सप्लाई कार्य बाधित ना हो यह व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

16. शहरी क्षेत्र के उक्त जोन के कार्य क्षेत्र का विवरण एवं मार्ग की सूची संलग्न– एनेक्स ए की गयी है। सफल वितरक अपने कार्य क्षेत्र के भीतर संघ द्वारा आवंटित शॉप/बूथ एजेंसी तथा विभाग को दुग्ध उत्पाद सप्लाई देने हेतू बाध्य होंगें। लिस्ट सफल वितरक को कार्यावंटन के साथ मय फोन न0 सुपुर्द की जावेगी।

17. दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा वर्तमान जोन के विक्रय केन्द्रों व सप्लाई मार्ग को निविदा अवधि के अंर्तगत परिवर्तित किया जा सकेगा जो अनुबंधक को मान्य होगा व उसी अनुरूप सप्लाई व्यवस्था पूर्ण करानी होगी।

18. जोन के अन्दर यदि कुछ कार्यक्षेत्र उदयपुर शहर के मध्य का मेन मार्केट भी है जहॉ दुग्ध उत्पादों की परिवहन/वितरण व्यवस्था को अलग से छोटा ऑटों लगाकर एजेण्टों अथवा अन्य विक्रय केन्द्रों तक पहुॅचाकर उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त परिवहन देय नही होगा।

19. वर्तमान में जो आदेश/नियम एवं शर्ते विभागों/विक्रय केन्द्रों में सप्लाई हेतू लागू है वह उस जोन के सफल निविदादाता को इस कार्यावंटन के तहत मान्य होगी।
(रेल्वे ट्रेंनिग, रेल्वे पार्लर, रिलाईन्स फ्रेश, थोक भण्डार इत्यादि)

20. सफल निविदादाता के कार्यक्षेत्र में यदि विपणन विभाग द्वारा किसी नयें विभाग में, नयें आउटलेट में सप्लाई पहुँचानें व सप्लाई प्रारम्भ करनें के लिए कहा जाता है तो सफल निविदादाता को इस कार्यावंटन के तहत मान्य होगी।

उपरोक्तानुसार वितरक/अनुबधंक नियुक्ति हेतू सभी आवश्यक नियम एवं शर्तो की पालना हेतू मैं बाध्य रहूॅगा।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर

फोन नं. :– 2640188,2941773,7427811444,7427811222

निविदा संबंधी विशेष नियम एवं शर्ते

1. शहरी क्षेत्र में वितरकशीप का यह कार्य सफल वितरक द्वारा विपणन विभाग द्वारा तय सप्लाई मार्ग, व्यवस्था व निर्धारित विक्रय केन्द्रों के अनुरूप प्रतिदिन आधार पर पूर्ण कराना होगा।
2. सफल वितरक की जमा धरोहर राशि रू 10,000/– पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल वितरक की धरोहर राशि आवंटन पश्चात अमानत राशि में जमा कर ली जावेगी। निविदा कार्य की कुल अमानत राशि रू 1,00,000/– (जिसमें रु.50000 नकद (रु 10000 धरोहर राशि + 40000 अतिरिक्त राशि) व रु.50000 की बैक गांरटी) है अतः सफल निविदादाता को धरोहर राशि के अलावा रू 40,000/– अमानत राशि दुग्ध संघ में जमा करानी होगी। नकद जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. इस कार्य हेतू वितरक को नेशनलाईज्ड बैंक से रू 50,000/– की बैंक गारंटी जो कि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर के पक्ष में तीस माह की अवधि के लिये बनायी गई हो, को कार्य आरम्भ करने से पूर्व संघ के विपणन कार्यालय में जमा कराया जाना होगा तदउपरान्त ही कार्य शुरू करने हेतू विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।
4. सफल वितरक को न्यूनतम सदस्यता शुल्क की एवज में रू 100/– नकद, संघ की बिल–शाखा में जमा कराना होगा।
5. वितरक को संघ द्वारा निर्मित, घी के अतिरिक्त अन्य दुग्ध उत्पाद वितरक (ड़िस्ट्रीब्यूटर दर) दर पर एवं घी वितरक दर से प्रति किलो/लीटर पर रु 2.00 अतिरिक्त पर नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त करने होगें। विपणन किये जाने वाले सभी दुग्ध उत्पाद वितरक को नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त करने होंगे।
6. सफल वितरक द्वारा एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर संघ द्वारा शास्ति आरोपित की जावेगी। वर्तमान में दुग्ध संघ की निर्धारित डीलर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एवं एम.आर.पी दर (रेट लिस्ट) विपणन विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं। वितरक, दुग्घ संघ, उदयपुर एवं आर.सी. डी.एफ.जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विपणन कार्य करने हेतू बाध्य होंगे।
7. संघ के अधिकृत विक्रय केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य विक्रय केन्द्रों पर दुग्ध उत्पादों का वितरण रिटेलर दर अथवा इससे कम दर पर करने की पाबंदी रहेगी एवं शिकायत प्राप्त होने पर शास्ति

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

आरोपित की जावेगी। समय–समय पर संघ द्वारा निर्धारित दरों पर ही विपणन कार्य किया जाना होगा।

8. वितरक को दैनिक अग्रिम डिमांड के आधार पर दुग्ध उत्पाद इश्यु किये जावेंगे। परिवहन में होने वाले नुकसान एवं इश्यु किया गया उत्पाद रिर्टन हेतू मान्य नहीं होगा एवं वितरक द्वारा दुग्घ उत्पाद संघ से इश्यु कराने के पश्चात दुग्ध संघ की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अतः वितरक दुग्ध उत्पाद की सही अवस्था सुनिश्चित कर ही संघ से प्राप्त करेंगे।

9. वितरक अपने पूर्व स्टॉक का विक्रय संबंधी विवरण संलग्न कर अपनी अगली डिमांड प्राप्त कर सकेंगे। (फार्मेट) दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता संरक्षण की समयावधि कम होने के कारण वितरक यह सुनिष्चित करें कि विभाग द्वारा निर्देशित समयावधि के भीतर डिमांडनुसार ही सरस एजेंटो एवं उपभोक्ताओं को उत्पाद का वितरण किया जावें ।

10. दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा वर्तमान में कुछ विक्रय केन्द्रों (विभागों, शॉपिग मॉल, प्रशिक्षण केन्द्रों व अन्य) पर उत्पाद सप्लाई की व्यवस्था कुछ नियम एवं शर्तो एवं आदेश अनुरूप शुरू कराई गई जो आपको भी इस वितरकशीप के अंर्तगत मान्य होगी। विभागों को संघ द्वारा देय दिशा–निर्देश अनुरूप दुग्ध उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करानी होगी।

11. जिन स्थलों पर संघ के विक्रय केन्द्रों द्वारा दुग्ध उत्पाद का विपणन कार्य नहीं किया जाता है तो वितरक स्वयं के स्तर पर अन्य विक्रय केन्द्रों पर दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करावेगा।

12. वितरक द्वारा Use By Date के पश्चात के दुग्ध उत्पाद बेचने पर संघ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस हेतू यह सुनिश्चित कर लिया जावे Use By Date के पश्चात का कोई भी उत्पाद स्टॉक में बाकी नहीं रहें।

13. संघ के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी द्वारा किसी भी समय वितरण के स्टॉक, रिकार्ड, गोदाम एवं अन्य सम्पत्ति जिसका संबंध उदयपुर दुग्ध संघ से हो, का निरीक्षण किया जा सकता है।

14. सफल वितरक को दुग्घ उत्पाद की प्रति लीटर/किग्रा की मात्रा वितरण करने पर अतिरिक्त परिवहन व्यय सफल निविदा में भरी गयी निविदा दर के आधार पर देय होगी जो वितरक द्वारा मासिक बिल प्रस्तुत करने पर चैक द्वारा देय होगी। उक्त परिवहन एवं वितरण कार्य हेतू संघ द्वारा निर्धारित डिस्ट्रीब्युटर मार्जिन वितरक को देय होगा।

15. संघ द्वारा नियुक्त रिटेलर के अलावा वितरक किराणा स्टोर/होटल एवं अन्य उपभोक्ता को दुग्ध उत्पाद का विपणन कर सकेंगे बशर्ते संघ द्वारा नियुक्त रिटेलर की सेल में विपरीत प्रभाव ना पडें। सफल वितरक अपने क्षेत्र के रिटेलर को उनके एजेंसी के गंतव्य स्थान पर दुग्ध उत्पाद का वितरण करने हेतू बाध्य होगा। साथ ही सरस एजेंटो को वितरित दुग्घ उत्पाद अपनी प्रिटेंड

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जीएसटी) बिल–बुक पर विवरण (जिसमें उत्पाद की मात्रा, दर एवं खाली क्रेटों का पूर्ण विवरण दिया गया हो) अंकित कर ही राशि एवं क्रेटेां का संग्रहण करेगा। प्रतिदिन जोन में एजेंसियों तथा अन्य विक्रय केन्द्रों पर वितरण किये जाने वाले दुग्ध उत्पादों का विवरण विपणन कार्यालय में अगले दिन प्रभारी विपणन/संबंधित अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

16. सफल वितरक को अपनी दुकान अथवा गोदाम पर कोल्ड चेन हेतू एक कार्यरत डीपफ्रिज एवं वी.सी. कूलर की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी होगी जिसका किराया, रख–रखाव एवं मरम्मत की समस्त जिम्मेवारी वितरक की स्वयं की होगी। जिसका निरीक्षण समय–समय पर मार्ग प्रतिनिधी द्वारा किया जा सकेगा। गर्मी के समय जब डिमांड अधिक होगी उस समय वितरक को दुग्ध उत्पाद के भण्डारण की उचित व्यवस्था कर उत्पाद की डिमांड पूर्ति विक्रय केन्द्रों को समय अनुरूप करानी होगी।

17. विपणन की व्यवस्था हेतू वितरक को स्वयं के व्यय पर सेल्समेन एवं सहायक आवश्यकता अनुसार नियुक्त करने होंगे जो दुग्ध उत्पाद की नियमित वितरण व्यवस्था में सहायक होंगे। वितरक के स्टॉफ के पी.एफ. एवं ई.एस.आई का समस्त दायित्व वितरक का होगा। वितरक एवं उसके नियुक्त कर्मचारी के कार्य द्वारा दुग्ध संघ को होने वाले नुकसान एवं खर्चे का भुगतान करने हेतू स्वयं वितरक उत्तरदायी होगा।

18. वितरक को संघ द्वारा इश्यु किये गये दुग्घ उत्पाद का वितरण रिर्टनेबल क्रेट में ही किया जावें जो क्रेटें संघ द्वारा इश्यु की जावेगी उन्हें दूसरे दिन सप्लाई ले जाते समय आवश्यक रूप से संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। पूर्व में की गई सप्लाई की क्रेटों से कम क्रेटें जमा कराने पर शेष क्रेटों की कीमत वितरक द्वारा वसूल की जावेगी। सफल वितरक को क्रेटों का प्रतिदिन का विवरण विपणन कार्यालय से हर माह प्राप्त करना होगा। इसके साथ प्रत्येक माह की अंतिम दिनांक को बकाया क्रेटों का नोडयूज कराना आवश्यक होगा नोडयूज होने के उपरान्त ही परिवहन व्यय हेतू बिल का भुगतान किया जावेगा।

19. संबंधित वितरक की डिस्ट्रीब्यूटरशीप का ऐग्रीमेन्ट बिना किसी नोटिस के निरस्त किया जा सकेगा।

20. सफल वितरक की समयावधि में किसी भी समय पर वितरण कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के रोकने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

21. सफल वितरक को अपने कार्य क्षेत्र में आयोजित समारोह, मेले, वार्षिकोत्सव अथवा अन्य अवसरों पर संघ द्वारा निर्देशित जगहों पर दुग्ध उत्पाद रिटेलर दर पर उपलब्ध कराने होगें।

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

22. सरस विक्रय केन्द्र द्वारा दुग्ध संघ, उदयपुर में सीधे ही सूचित कराई गई डिमांड को आपके द्वारा उक्त विक्रय केन्द्र तक पहुॅचाया जाना सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा।

वितरण कार्य करने हेतू उपरोक्तानुसार सभी आवश्यक शर्तो की अनुपालना हेतू मैं बाध्य रहूॅगा।

(निविदादाता / फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड, उदयपुर
फोन नं. :– 2640803,2640839 फैक्स नं. :– 2640333

ई–निविदा फॉर्म
उदयपुर शहरी क्षेत्र – जोन प्रथम
भाग–ब

उदयपुर डेयरी से शहर के जोन प्रथम के सरस एजेण्टों/विभागों एवं अन्य विक्रय केन्द्रों तक ताप–प्रतिरोधक वाहन द्वारा दुग्ध उत्पाद परिवहन एवं वितरण कार्य करना।

(This format is used for reference only)

Itemwise BoQ

Tender Inviting Authority :- Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Udaipur

Name of Work :- Transportation/distribution work of Milk Products to various sale points of Zone Area I of Udaipur City through insulated vehicle

Contract No. :- 05/2025-26

Bidder Name :	

PRICE SCHEDULE

(This BoQ template must not be modified/replaced by ther bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender, bidders are allowed to enter the bidder name and values only)

Number #	TEXT #	TEXT #	Number #	TEXT #	Number #	Number #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code/ Make	Quantity	Units	Rate in figure To be entered by the Bidder Rs/Litre or Kg (Inclusive of all taxes)	Total Amount With Taxes	Total Amount In Words
1	2	3	4	5	13	54	55
1	Transportation/distribution work of Milk Products to various sale points of Zone Area I of Udaipur City through insulated vehicle						
1.01	Transportation charges for Udaipur city Zone I (On total sale quantity of milk products)	Milk Products	1	Ltr/kg			INR Zero Only
Total in Figures							
Quoted Rate in Words		INR Zero Only					

Note :-
- The quoted rate Rs per litre/kg (on total sale quantity of milk products) in above format shall be directly feed online in to BOQ format (*.xls format of part ii of Tender document) by the tenderer.
- The offered rate by the tenderer should be inclusive of all taxes.

(निविदादाता/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

एनेक्स–ए

शहरी क्षेत्र के दुग्ध उत्पाद के जोन प्रथम के कार्यक्षेत्र का विवरण :–

जोन प्रथम

1. उदयपुर पुराना षहरी क्षेत्र
2. रेल्वे स्टेशन
3. खांजीपीर
4. बस स्टेण्ड
5. गुलाब बाग
6. चंपालाल धर्मषाला
7. टेकरी
8. माली कॉलोनी
9. पशुराम चौराहा
10. सबसिटी सेन्टर
11. शास्त्री सर्कल
12. जनरल हॉस्पीटल
13. चेतक सर्कल
14. पंचवटी
15. सुखाडिया सर्कल
16. फतहपुरा
17. सेलिब्रेशन मॉल
18. भुवाणा बाई–पास
19. सुखेर
20. अंबेरी
21. बेदला
22. बडगॉव
23. बडी
24. नीमचमाता
25. फतहसागर
26. राडा जी चौराहा
27. मुल्लातलाई
28. नाई
29. सीसारमा
30. रेती स्टेण्ड
31. पुलिस लाईन
32. सिक्ख कॉलोनी
33. हॉथीपोल
34. देहलीगेट
35. कोर्ट चौराहा
36. भोपालपुरा
37. नयाखेड़ा
38. उबेष्वर रोड़
39. अम्बामाता
40. रामपुरा
41. रानी रोड़
42. देवाली
43. नीमचमाता

(निविदादाता / फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan) for procurement of .... in response to their Notice Inviting bid No..................Dated .... I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director, Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement.
(b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) cancellation of a procurement process.
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(निविदादाता / फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal .

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in lndia payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED

GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..................................of...............................

Before the.. (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal ....(Supported by an Affidavit)

7. Prayer:...

Place ....

Date...

Appellant's Signature

(निविदादाता / फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर)

Annexure 4 : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of
subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.